

क्रमांक:- एफ.4(ई)(लिंक नं. 11999)/अलेसे-II/328

दिनांक:- 20-8-25

कार्यालय-आदेश

उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, नागौर ने कार्यालय आदेश क्रमांक 2024-25/राजकाज/दिनांक 02.01.2025 द्वारा श्री सुरेन्द्र फूलफगर, सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी (परि.प्रशि.) नागौर को दिनांक 02.01.2025 को मध्याह्न पश्चात् कार्यमुक्त कर निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया, जिसकी पालना में श्री फूलफगर द्वारा दिनांक 03.01.2025 को मध्याह्न पूर्व उपस्थिति दी गयी। विभागीय आदेश संख्या 192/2024-2025 दिनांक 10.01.2025 द्वारा श्री फूलफगर का पदस्थापन खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के रिक्त पद पर किया गया। खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर के पत्रांक 2651-57 दिनांक 13.01.2025 अनुसार श्री फूलफगर ने दिनांक 13.01.2025 को मध्याह्न पूर्व कार्यग्रहण किया। अतः श्री फूलफगर की "आदेशों की प्रतीक्षा" अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत नियमित करते हुए कॉलम संख्या 5 में अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या 6 में अंकित कार्यालय से आहरित करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र.सं. (1)	लिंक नं. (2)	कार्मिक का नाम एवं पदनाम (3)	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि (4)	अवधि/माह जिसका वेतन भुगतान किया जाना (5)	कार्यालय का नाम जहाँ से वेतन आहरण किया जाना है (6)
1.	11999	श्री सुरेन्द्र फूलफगर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II	03.01.2025 से 10.01.2025	03.01.2025 से 12.01.2025 (दिनांक 11-12/01/2025 क्रमशः शनिवार एवं रविवार)	खनि अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के रिक्त पद के विरुद्ध)

8
अ

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पेदन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक क्रमांक:- एफ.4(ई)(लिंक नं. 11999)/अलेसे-II/328

दिनांक:- 20-8-25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर।
- उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
- श्री सुरेन्द्र फूलफगर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर।

(सीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक II/III)